1) श्री जी एस वराड़ - वर्ष -2014, वर्ष 2015
2) श्री पदमजीत सिंह - वर्ष 2014, वर्ष 2015 द्वारा मांगे गए आरटीआई आवेदन पत्रों के जवाब।

आरटीआई, बीबीएमबी (लोक प्राधिकरण)

नोट: बीबीएमबी लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित आरटीआई पर निम्नलिखित आवेदनों के द्वारा एक सामान विषयों पर बार- बार समान एक ही जानकारी मांगने पर आरटीआई आवेदनों पर विचार न करना।

1) श्री गुरनेक सिंह बराड़ निवासी मकान नं. 1, रणजीत बाग मोदी मन्दिर के सामने, पटियाला ।
2) श्री राजेश बहल निवासी मकान नं. 45, रणजीत बाग, मोदी मन्दिर के सामने पटियाला **(**अब बदला गया मकान नं. 118 गुरदर्शन नगर 24 नं. फाटक के समीप, पटियाला**)**।
3) श्री पदमजीत सिंह निवासी मकान नं. 45 रणजीत बाग मोदी मन्दिर के सामने, पटियाला।
4) श्री संजीव कुमार निवासी मकान नं. 45 रणजीत बाग मोदी मन्दिर के सामने, पटियाला ।
5) श्री अशोक कुमार जैन मकान नं. 147बी ई वी ए **(**सुपर एम आई जी**)** सैक्टर-93, नोएडा **(**यू. पी**)**

यह रिकार्ड पर लाया जाता है कि उपर्युक्त 5 नं. आवेदकों ने 23.05.2014 से 24 जून 2015 तक की अवधि में आरटीआई के अन्तर्गत **233** आवेदन-पत्र दिए हैं। प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूची और विवरण (स्कैन) **अनुबंध 1 एवं 2** पर दिया गया है। दिनांक 24.05.2015 से 03.07.2015 तक की मध्यबर्ती अवधि के दौरान इन पांच आवेदकों से आरटीआई के तहत 8 और आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

आवेदन पत्रों का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया है कि अधिकतर आवेदन-पत्रों में एक ही समान सूचना मांगी जा रही है और लोक प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर और पूर्व आवेदन-पत्रों के तथ्यों को दबाया जा रहा है। एक ही समान सूचना बार - बार मांगी जाने की कार्रवाई से अधिनियम का एक दुरूपयोग होता है और जन प्राधिकारी विशेषकर पीआईओ को परेशानी होती है। इसके अलावा बहुतायत आर टी आई आवेदन पत्रों के कारण कार्य का बोझ बढ़ने से मानव शक्ति जैसे सीमित वुनियादी ढांचे की सुविधा पर भी लोड़ बढ़ रहा है और पीआईओ के कार्यालय के संसाधनों का ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराने में दुरूपयोग हो रहा है। **यह कार्रवाई आर टी आई अधिनियम की धारा 7(9)के दायरे में आती है।** इसके परिणाम स्वरूप आरटीआई के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले अन्य आवेदकों पर भी ध्यान केन्द्रित नहीं हो पाता जिस के कारण अन्य आवेदकों

को अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से निर्धारित समय अवधि में सूचना उपलब्ध कराने में नुकसान उठाना पड़ता है।

यह मामला इस कार्यालय के मीमों सं. बोर्ड सचिवालय/पीआईओ /आरटीआई /जुलाई 2014/1260-63 दिनांक 10.7.2014 और सं./बोर्ड सचिवालय /पीआईओ/आरटीआई /अगस्त 2014/1589-92 दिनांक 12.8.2014 के द्वारा **अनुबन्ध-3** पर दिए गए विवरण सहित (प्रति संलग्न) आवेदकों के ध्यान में पहले भी लाया जा चुका है।

<u>सीआईसी का हाल ही का निर्णय</u>

श्री सुधीर कुमार बनाम, निदेशक शिक्षा दिल्ली के मामले में मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के हाल ही के फैसले में उत्पीड़न की समस्याओं और प्रश्नों की पुनरावृति को कम करने के लिए आयोग ने प्रतिवादी प्राधिकरण को ऐसे अपील करने वालों द्वारा दायर किए गए सभी आरटीआई आवेदन-पत्रों में दिए गए सवालों को समेकित करने और दी गई सूचना दर्शाने हेतु विश्लेषण करने की सिफारिश की है। **इस समेकित सूचना की प्रति आवेदक और सम्बन्धित सूचना आयोग को भेजने के अतिरिक्त इसे वेबसाईट पर भी डालना चाहिए।** वेबसाइट में भी दी गई सूचना

आरटीआई प्रश्नों की पुनरावृति के प्रत्युत्तर के रूप में काम करेगी ताकि लोग आरटीआई के अन्तर्गत आवेदन, जिनसे लोक प्राधिकारी के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और उनका मूल्यवान समय, जिसे वे अपने नियमित कार्यो के निष्पादन में लगा सकते हैं, को बचाने हेतु बार-बार दायर न करें।

आरटीआई अधिनियम में <u>जब कोई आवेदक किसी विशेष विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहता है</u> तो उसे उसी समय एक बार में सभी सम्वन्धित सूचना प्राप्त करनी चाहिए। वह सूचना के किसी एक भाग हेतु दूसरा आवेदन पत्र नहीं दे सकता, जिसे वह मांगना भूल गया था अथवा कोई अन्य कारण हो। <u>उसे उस विषय से सम्बन्धित सूचना के सभी सम्बन्धित पहलुओं पर एक बार और सम्पूर्ण सूचना मांगनी चाहिए।</u> **यदि वह ऐसा नहीं करता है तो माना जाता है कि उसने इस बारे पूछ लिया है और उसे उचित तरीके से इन्कार कर दिया गया है।** यह सिविल प्रक्रियात्मक न्याय- "रचनात्मक रेस-ज्यूडीकेस"के सिद्धातों और आरटीआई अधिनियम के उदेश्यों में आगे जनहित में शामिल किया गया है ऐसे दोहराव अथवा उसी या विभिन्न लोक प्राधिकारियों से मांगे जा रहे अन्तहीन सवाल बंद हो जाएं।

<u>कानूनी सलाह</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और अधिनियम के धारा <u>4(1)</u> खण्ड (बी) जो लोक प्राधिकारी के कामकाज

में पारदर्शिता और जवाव देही से सम्बन्धित हो और भ्रष्टाचार को निरूतसाहित करने वाली है, के अन्तर्गत आवश्यक सूचना ध्यान में लाने के भरसक प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन अन्य सूचना के सम्बन्ध में (अधिनियम की धारा 4(1) (बी) और (।सी) में बताई गई सूचना से अलग सूचना) अन्य सार्वजनिक हितों यथा संवेदनशील सूचना की गोपनीयता, निष्ठा और प्रत्ययी रिश्ते, सरकारों के कुशल संचालन आदि) को समान महत्व तथा बल दिया जाता है। आरटीआई अधिनियम के तहत विविध जानकारी का खुलासा करने के लिए अन्धाधुंध (अविवेकी) और अव्यावहारिक मांगें अथवा निर्देश (जो लोक प्राधिकारियों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाब देही तथा भ्रष्टाचार के उन्मूलन से सम्बन्धित न हों) प्रभावहीन होंगे और यह प्रशासन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा तथा कार्यकारी सूचना एकत्रित करने और प्रस्तुत करने जैसे अनुत्पादक त्यादक कार्यो में फंसे रहेंगें।

राष्ट्र ऐसी स्थिति नहीं चाहता जहां लोक प्राधिकारी स्टाफ अपने नियमित कार्यो को सम्पन्न करने के बजाए अपना 75% समय आवेदकों की सूचना एकत्रित करने एवं प्रस्तुत करने में बिताए। आरटीआई अधिनियम के तहत दण्ड देने की धमकी और आरटीआई के आधीन दबाव प्राधिकारियों का दवाब कर्मचारियों को अपने सामान्य तथा नियमित कर्तव्यों की कीमत पर सूचना प्रस्तुत करने की प्राथमिकता देने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

<u>सीएलए सलाह</u>

चार आवेदक बार-बार एक ही /समान सूचना की मांग कर रहे है और इस तरह आरटीआई की प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रहे है। एक ही विषय पर बहुतायत में आवेदन पत्र फाइल करके, ये व्यक्ति ब्यक्ति लोक प्राधिकरण के समय और संसाधनों की आपराधिक बर्बादी कर रहे है। इस प्रकार वे ना केवल लोक प्राधिकरण को उत्पीड़ित कर रहे है बल्कि लोक प्राधिकरण के सीमित मूलभूत ढांचे पर भी अधिक भार डाल रहे है ।

मुख्य सूचना आयोग उच्च न्यायलाओं और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में निधार्रित कानून के मध्यनजर मेरी राय है कि पीआईओ का इन आवेदकों/व्यक्तियों जव वे एक ही समान सूचना मांगते हैं, से प्राप्त आवेदन पत्रों पर गौर न करना न्यायोचित है तथापि समेकित सूचना बोर्ड कि वेबसईट पर डाली जानी चाहिए और इसकी सूचना संबंधित मुख्य सूचना आयोगों को भी भेजी जानी चाहिए।

<u>बीबीएमबी द्वारा सक्रिय -प्रकटीकरण</u>

इन 5 आवेदकों से प्राप्त आरटीआई आवेदन पत्रों की संख्या में कमी करने के लिए बीबीएमबी ने कुछ निश्चित विषयों की पहचान की है जिनके बारे में बार-बार आवेदन पत्र दायर किए जा रहे हैं, की सूची नीचे दी गई है और बीबीएमबी की वेबसाइट पर अक्तूबर तथा दिसम्बर 2014 में सक्रिय प्रकटीकरण के अन्तर्गत स्थिति रिपोर्ट दर्शाई गई है।

विषयों का विवरण निम्नानुसार है:-

<u>अक्तूबर 2014</u>

i) बीबीएमबी के जीरो वेस बजटिंग की स्थिति और वर्ष 2011-12 की बजट उप-समिति की वितरण सूची।

<u>दिसम्बर 2014</u>

i) कोटला विद्युत गृह की यूनिट-3 और गंगूवाल की यूनिट-2 की बहाली।
ii) देहर विद्युत गृह, बीबीएमबी की यूनिट-6 की बहाली।
iii) विद्युत घरों से उत्पादन का कार्यक्रम।
iv) 220 विद्युत के वी डी/सी भाखड़ा (दायां) - जमालपुर लाइन की रि-कंडक्टरिंग।
v) 220 के वी, डी/सी रोहतक रोड नरेला लाईन की रि-कंडक्टरिंग।

<u>मई 2015</u>

i) संतुलन जलाशय बीएसएल, बीबीएमबी,सुन्दरनगर के परिचालनात्मक पैरामीटर।

<u>कृपया ध्यान दें</u> उपर्युक्त सक्रिय प्रकटीकरण में किसी किस्म का परिवर्तन होने की स्थिति में इसे नियमित रूप से छ:माही आधार पर ऊद्यतन किया जाएगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि वर्तमान मामले में इन पांच आवेदकों के द्वारा एक ही समान/ विषय पर लोक प्राधिकारी बीबीएमबी से सूचना मांगने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची और विवरण **अनुबन्ध-1 एवं 2** तथा उन्हें भेजे गए पत्र दिनांक 10.7.2014 और दिनांक 12.8.2014 के विभिन्न अंतरिम संदर्भो और उनसे प्राप्त आवेदन-पत्रों के संदर्भ में इस कार्यालय के द्वारा भेजी गई पावती पर दी गई टिप्पणी (अनुवन्ध-3) को

आरटीआई के दुरूपयोग के सम्बन्ध में श्री सुधीर कुमार बनाम डीटीई के मामले में दिनांक 22.08.2014 को सीआईसी के निर्णय का हवाला देते हुए बीबीएमबी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

इन पांच आवेदकों के द्वारा फाइल किए गए आरटीआई आवेदन - पत्रों के उत्तर अपलोड करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। यह एक विस्तृत विस्वृत और

समय लेने वाली प्रक्रिया है, इसे कार्य पूरा होने के पश्चात शीघ्र ही वेबसाइट पर डाला जाएगा।

<u>उपर्युक्त सूचीवद्ध किए 5 नं. आवेदकों से एक ही /समान विषयों पर आरटीआई आवेदन पत्रों पर गौर न करने के संक्षिप्त कारण।</u>

i) आरटीआई के तहत बहुतायत संख्या में प्राप्त पत्रों से अधिनियम की धारा (9) के अन्तर्गत ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बीबीएमबी में पीआईओ के कार्यालय के संसाधनों का डायवर्ट होना।

ii) ऐसा परिदृश्य तैयार करना, जहां विद्युत सप्लाई निरन्तर बनाए रखने के लिए लोक प्राधिकरण का विद्युत उत्पादन यूनिटों के ओ एण्ड एम एवं बहाली में संलिप्त 75% संवेदनशील स्टाफ अपने नियमित कर्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय अपना 75% समय इन आवेदकों की सूचना एकत्रित करने और प्रस्तुत करने में लगा रहा है।

iii) लोक प्राधिकरण, बीबीएमबी के पीआईओ कार्यालयों के मानवशक्ति के संदर्भ में सीमित मूल ढांचे का ओवरलोडिंग होना।

iv) अधिनियम की धारा 8(1) (i) के तहत बीबीएमबी के अधिकारियों/ कर्मचारियों की तृतीय पक्ष/ निजी सूचना से सम्बन्धित सूचना के प्रकटीकरण से कोई सार्वजनिक हित नहीं हो रहा है।

v) अविशिष्ट सूचना पूछना जैसे सभी अभिलेखों की प्रति (वैठकों के कार्यवृत इत्यादि) महीने से साल तक की अवधि से सम्बन्धित समानांतर जांच/सूचना को चुनना।

vi) आरटीआई का शिकायत निवारण तंत्र के साथ मिश्रण करना।

vii) सीआईसी के कुछ स्थायी निर्णयों का उल्लंघन करते हुए एक ही /समान सूचना बार-बार मांगने से आरटीआई का अपमान/दुरूपयोग।

viii) बीबीएमबी में पीआईओ का ध्यान आरटीआई के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले अन्य आवेदको पर केन्द्रित नहीं हो पाता जिसके कारण अन्य आवेदकों को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध कराने में नुकसान उठाना पड़ता है।

ix) वेबसाइट पर सक्रिय प्रकटीकरण पर डाली गई सूचना में से प्रश्न निकाल कर पूछने का अन्तहीन सिलसिला जारी है इसके बावजूद कि जन प्राधिकरण ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से विषयों पर सक्रिय प्रकटीकरण किया गया, इसके लिए अब भी वार-बार आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

x) आवेदकों का सम्पर्क पता एक ही है और संभवत: विभिन्न विषयों पर एक ही/ समान सूचना प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ मिल-जुल कर काम कर रहे हैं।

<u>कृपया ध्यान दें</u>:- उपरोक्त आवेदकों को पूर्व अनुरोधों में पहले से शामिल सूचना के अलावा अन्य जानकारी लेने से वंचित नहीं किया जाएगा जिसके लिए सम्बन्धित पीआईओ आरटीआई के अधिनियम के प्रावधानअनुसार कार्रवाई करेंगें।

आर टी आई अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी के लिए अपने अधिकार का अपमान अथवा लोक कार्यालय अवरूद्ध करने के लिए आवेदक को दण्डित करने का कोई प्रावधान नहीं है। सीआईसी द्वारा सिफारिश की गई है कि यदि कोई आवेदक तीन बार ऐसे दोहराव वाले आरटीआई आवेदन पत्रों का सहारा लेता है तो लोक प्राधिकरण ऐसे आवेदक पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा और बकायदा इसे अधिसूचित करेगा।